

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :-

संचिका संख्या-6/अ0-03-07/2024

पटना, दिनांक:-

श्री सुजित कुमार मिश्रा, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 23.04.2025 से 07.05.2025 तक कुल 15 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री मिश्रा के अवकाश लेखा में (199-15=184) एक सौ चौरासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक:-6/अ0-03-07/2024 255 पटना, दिनांक:- 21/01/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहारशरीफ, नालन्दा/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुजित कुमार मिश्रा, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।